भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1246

11.12.2023 को उत्तर के लिए

वनेतर प्रयोजनों हेतु वन भूमि का उपयोग

1246. श्री डी. के. सुरेश :
श्री नलीन कुमार कटील :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, कर्नाटक के विशेष संदर्भ में, वनेतर प्रयोजनों के लिए कुल कितनी वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वन भूमि का स्पष्ट रूप से सीमांकन करने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार देश में वनक्षेत्र को बढाने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान गैर-वानिकी उपयोग के लिए विपथित वन भूमि का कर्नाटक राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) 'भूमि' राज्य सरकार का विषयगत मामला है। वन क्षेत्रों और उनकी कानूनी सीमाओं को संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और अनुरक्षित किया जाता है। यह मामला, अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि अभिलेखों के संग्रह का भाग होने के नाते, राज्य सरकार का यह प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वह किसी भू-खंड की स्थिति को निर्धारित करते समय राजपत्र अधिसूचनाओं, राज्य और केंद्रीय अधिनियमों के तहत उपबंधों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए निदेशों और निर्णयों पर विधिवत विचार करे।

(ग) वनेतर कार्यकलापों के लिए वन भूमि के विपथन के कारण वन और वृक्ष आवरण को पहुँचने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण शुरू करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम) और सीएएफ नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण निधि का उपयोग किया जाता है।

यह मंत्रालय, देश में वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमोें, नामतः हरित भारत मिशन (जीआईएम), वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन स्कीम, नगर वन योजना और संबंधित मंत्रालयों की विभिन्न स्कीमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहता प्रदान करता है। संबंधित मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन आदि के तहत वनीकरण कार्यकलापों को शुरू किया जाता है।

****

अनुबंध

"वनेतर प्रयोजनों हेतु वन भूमि का उपयोग" के संबंध में श्री डी. के. सुरेश और श्री नलिन कुमार कटील द्वारा दिनांक 11.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1246 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

श्रेणी : सभी श्रेणियाँ		**01/04/2018 से 31/03/2023 तक की अवधि के दौरान**
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर में)**
1	अंडमान और निकोबार	100.00
2	आंध्र प्रदेश	1946.61
3	अरुणाचल प्रदेश	7448.34
4	असम	1357.17
5	बिहार	1852.75
6	चंडीगढ़	0.46
7	छत्तीसगढ	2802.38
8	दादरा एवं नगर हवेली	18.41
9	दमन और दीव	2.43
10	दिल्ली	85.05
11	गोवा	280.83
12	गुजरात	8064.76
13	हरियाणा	2161.49
14	हिमाचल प्रदेश	2512.65
15	जम्मू और कश्मीर	450.65
16	झारखंड	4416.55
17	कर्नाटक	1585.45
18	केरल	145.97
19	मध्य प्रदेश	19730.36
20	महाराष्ट्र	2137.89
21	मणिपुर	603.75
22	मेघालय	33.97
23	मिजोरम	392.89
24	ओडिशा	13304.79
25	पंजाब	2391.57
26	राजस्थान	2972.12
27	सिक्किम	124.87
28	तमिलनाडु	135.63
29	तेलंगाना	3706.52
30	त्रिपुरा	1153.65
31	उत्तर प्रदेश	4090.64
32	उत्तराखंड	3368.89
33	पश्चिम बंगाल	621.68
कुल योग		**90001.15**

स्रोत : **https://parivesh.nic.in**